राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 374/2024
ओम प्रकाश जांगिड़

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अति.मुख्य सचिव, वन विभाग,
राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 26.02.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में उप वन संरक्षक के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी ने स्थानान्तरण आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण उप वन संरक्षक, बूंदी, से उप वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, जयपुर किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का पदस्थापन वर्तमान स्थान पर आदेश दिनांक 02.08.2023 (अनुलग्नक–2) से हुआ था। वर्तमान स्थानान्तरण अल्पावधि में किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि निजी प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित करने की गरज से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो उचित नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि वन विभाग की स्थानान्तरण पोलिसी के अनुसार किसी भी कर्मचारी का स्थानान्तरण दो वर्ष से पूर्व नहीं किया जा सकता है, परन्तु अपीलार्थी का स्थानान्तरण 6 माह में ही किया गया है, जो प्रत्यर्थी विभाग ने अपनी ही नीति के विरूद्ध जाकर किया है।
3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्का पर विचार किया।

4. अपीलार्थी के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को पदस्थापित किये जाने मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि निजी प्रत्यर्थी को लाभ देने की गरज से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान स्थान पर पदस्थापित होने के 6 माह की अवधि के बाद किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण अल्पावधि में किया जाना नहीं माना जा सकता है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण राज्यहित में किया गया है। ऐसे में स्थानान्तरण आदेश विधि विरूद्ध होना नहीं माना जा सकता है।

5. प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer Order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer Orders are made in violation of any mandatory statutory Rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer Orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights. Even if a transfer Order is passed in violation of executive instructions or Orders, the Courts ordinarily should not interfere with the Order instead affected party should approach the higher authorities in the Department. If the Courts continue to interfere with day-to-day transfer Orders issued by the Government and its subordinate authorities, there will be complete chaos in the Administration which would not be conducive to public interest."*

6. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा) सदस्य	(अनन्त भंडारी) सदस्य (न्यायिक)